

झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राँची
Central University of Jharkhand
(भारत के संसद के अधिनियम, 2009 द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

संख्या - झा. के. वि/216

दिनांक - 10th जून, 2020

सूचना/Notice

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिनांक 29 मई, 2020 को प्रेषित ईमेल के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है की विश्वविद्यालय परिसर में "सिंगल यूज़ ऑफ़ प्लास्टिक" का उपयोग नहीं किया जाएगा।

It has been decided that "Single Use of Plastic" shall not be used in the University premises in compliance of email dated 29th May, 2020 of the Hon'ble Minister of Human Resource Development.

सभी विद्यार्थियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है वे "सिंगल यूज़ ऑफ़ प्लास्टिक" का उपयोग नहीं करेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे।

All students/teachers/staff are informed not to use "Single Use of Plastic" and adopt a healthy lifestyle.

यह सूचना माननीय कुलपति के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


This issues with the approval of the Hon'ble Vice Chancellor.



कुलसचिव
Registrar

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सभी संकायध्यक्ष
2. परीक्षा नियंत्रक
3. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/समन्यक
4. प्रो. प्रभारी शैक्षणिक, संकायध्यक्ष छात्रकल्याण व प्रभारी अनु. व वि
5. उप कुलसचिव/ प्रभारी इ.इ./स्वास्थ्य केंद्र/ सभी सहायक कुलसचिव/ज.स.अधि.
6. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी
7. तकनीकी प्रकोष्ठ प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट
8. सहायक कुलसचिव - II संबंधित फाइल हेतु
9. नोटिस बोर्ड व गार्ड फ़ाइल
10. सभी कर्मचारियों हेतु नोटिस बोर्ड/वेबसाइट में।



कुलसचिव
Registrar

216/10/6/2020